

सं: 13/8/2007-पब्लिक

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

\*\*\*

नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : नवम्बर, 2007

22 NOV 2007

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव/प्रशासक

विषय : सिंह स्तंभ शीर्ष के पार्श्व चित्र के नीचे देवनागरी में लिखे गए आदर्श वाक्य "सत्यमेव जयते"-सत्य की ही विजय होती है - के साथ भारत के पूर्ण राष्ट्रीय संप्रतीक का प्रदर्शन ।

महोदय/महोदया,

भारत का राष्ट्रीय संप्रतीक भारत सरकार की सरकारी मुहर है। राष्ट्रीय संप्रतीक अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ शीर्ष से लिया गया है। संप्रतीक में शीर्ष फलक पर तीन सिंह बैठे दिखाई देते हैं, बीच में धर्म चक्र है, उसकी दाहिनी ओर एक बैल और बाईं ओर दौड़ता हुआ एक घोड़ा है तथा धर्म चक्र के बिल्कुल दाईं एवं बाईं ओर सिंह स्तंभ शीर्ष के पार्श्व चित्र के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा गया आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। भारत के राष्ट्रीय संप्रतीक के डिजाइन की एक प्रति संलग्न है।

2. इस मंत्रालय के ध्यान में यह बात लाई गई है कि विभिन्न सरकारी एजेंसियां, जो अपनी लेखन सामग्री, प्रकाशनों, मुहरों, वाहनों, भवनों आदि पर भारत के राष्ट्रीय संप्रतीक का उपभोग कर रही हैं, प्रायः "सत्यमेव जयते" आदर्श वाक्य छोड़ देती हैं और केवल सिंह स्तंभ शीर्ष के पार्श्व चित्र को प्रदर्शित कर रही हैं। यह नोट किया जाए कि सिंह स्तंभ शीर्ष के पार्श्व चित्र के नीचे उत्कीर्ण (देवनागरी लिपि में) आदर्श वाक्य "सत्यमेव जयते" के बिना भारत का राष्ट्रीय संप्रतीक अधूरा है।

3. भारत का राष्ट्रीय संप्रतीक (अनुचित प्रयोग निषेध) अधिनियम, 2005 और भारत का राष्ट्रीय संप्रतीक (प्रयोग का विनियमन) नियम, 2007 की एक-एक प्रति सूचना एवं मार्गदर्शन के लिए संलग्न है।

कृ० पू० ३०

4. यह दोहराया जाता है कि जो सरकारी एजेंसियां विभिन्न सरकारी उद्देश्यों से भारत के राष्ट्रीय संप्रतीक का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हैं, उन्हें चाहिए कि वे संलग्न संरचना के अनुसार 'राष्ट्रीय संप्रतीक' के पूर्ण चित्र के साथ-साथ सिंह स्तंभ शीर्ष के पार्श्व चित्र के नीचे देवनागरी लिपि में आदर्श वाक्य "सत्यमेव जयते" उत्कीर्ण करवाएं। इस संबंध में सभी संबंधित एजेंसियों को उपयुक्त अनुदेश जारी किए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि राष्ट्रीय संप्रतीक से आदर्श वाक्य "सत्यमेव जयते" को हटाया न जाए।

संलग्न : यथोक्त

भवदीय,



(एस. के. भटनागर)

उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23092035

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
2. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
4. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
6. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
7. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
8. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
9. दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
10. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षा का कार्यालय, नई दिल्ली।
11. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
12. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
13. योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
14. गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय।
15. 20 अतिरिक्त प्रतियां।

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (गुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 41(7)साप्र/2/2005

जयपुर, दिनांक 12-12-07

प्रतिलिपि सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।



शासन उप सचिव

## भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 50)

[20 दिसम्बर, 2005]

वृत्तिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए भारत के राज्य संप्रतीक के अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 है।

संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारंभ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और यह भारत के बाहर, भारत के नागरिकों को भी लागू होता है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं।

(क) "सक्षम प्राधिकारी" से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी कंपनी, फर्म, अन्य व्यक्ति निकाय या किसी व्यापार चिह्न या डिजाइन को रजिस्ट्रीकृत करने या कोई पेटेंट प्रदान करने के लिए सक्षम है;

(ख) "संप्रतीक" से सरकार की शासकीय मुद्रा के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए अनुसूची में यथावर्णित और विनिर्दिष्ट भारत का राज्य संप्रतीक अभिप्रेत है।

3. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, संप्रतीक या उसकी मिलती-जुलती नकल का, किसी ऐसी रीति में, जिससे यह धारणा उत्पन्न होती है कि वह सरकार से संबंधित है या यह कि वह, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई शासकीय दस्तावेज है, केंद्रीय सरकार या उस सरकार के ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना, जिसे वह सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे, प्रयोग नहीं करेगा।

संप्रतीक के अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "व्यक्ति" के अन्तर्गत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों का कोई भूतपूर्व कृत्यकारी भी है।

4. कोई व्यक्ति, किसी व्यापार, कारबार, आजीविका या वृत्ति के प्रयोजन के लिए या किसी पेटेंट के नाम में या किसी व्यापार चिह्न या डिजाइन में संप्रतीक का प्रयोग, ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के अधीन करने के सिवाय, जो विहित की जाएं, नहीं करेगा।

सदोष अधिलाप के लिए संप्रतीक के प्रयोग का प्रतिषेध।

5. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई सक्षम प्राधिकारी,—

कतिपय कंपनियों आदि के रजिस्ट्रीकरण का प्रतिषेध।

(क) किसी ऐसे व्यापार चिह्न या डिजाइन को, जिस पर संप्रतीक हो, रजिस्टर नहीं करेगा, या

(ख) किसी ऐसे आविष्कार के संबंध में जिसका ऐसा नाम हो, जिसमें संप्रतीक आ जाता हो, कोई पेटेंट प्रदान नहीं करेगा।



(2) यदि किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष यह प्रश्न उठता है कि कोई संप्रतीक अनुसूची में विनिर्दिष्ट संप्रतीक या उसकी भिल्ली-डुलती नकल है या नहीं तो सक्षम प्राधिकारी उस प्रश्न को केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट करेगा और उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

संप्रतीक को प्रयोग को विनिश्चित करने की केन्द्रीय सरकार की सहायक शक्तियाँ।

6. (1) केन्द्रीय सरकार ऐसी शासकीय मुद्रा में, जिसका केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार तथा उनके संगठनों, जिनके अंतर्गत विदेशों में राजनयिक मिशन भी हैं, के कार्यालयों में उपयोग किया जाता है, संप्रतीक के उपयोग को विनिश्चित करने के लिए, ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, नियमों द्वारा ऐसा उपबंध कर सकेगी, जो उसे आवश्यक प्रतीत हों।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी,—

(क) सांविधानिक प्राधिकारियों, मंत्रियों, संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा लेखन सामग्री पर संप्रतीक के प्रयोग, अर्थात् शासकीय लेखन सामग्री पर उसके मुद्रण या समुद्र्ण की रीति को अधिसूचित करना;

(ख) शासकीय मुद्रा की, जिसमें संप्रतीक समाविष्ट हो, डिजाइन को विनिर्दिष्ट करना;

(ग) सांविधानिक प्राधिकारियों, विदेशी उच्च पदस्थों, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रियों के वाहनों पर संप्रतीक के संप्रदर्शन को निबंधित करना;

(घ) भारत में लोक भवनों, राजनयिक मिशनों और विदेश में भारत के कांसल कार्यालयों के दखलखूत भवनों पर संप्रतीक को संप्रदर्शित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्तों का उपबंध करना;

(ङ) विभिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए, जिनके अंतर्गत शैक्षिक प्रयोजनों और सहायक कार्यों के लिए प्रयोग भी है, संप्रतीक के प्रयोग के लिए शर्तें विनिर्दिष्ट करना;

(च) ऐसी सभी बातें (जिनके अंतर्गत संप्रतीक के डिजाइन का विनिर्देश और इसके प्रयोग की रीति, चट्टे-बो हो, भी है) करना जो केन्द्रीय सरकार पूर्वगामी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे।

शक्ति।

7. (1) कोई व्यक्ति, जो धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, ऐसे कारणों से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पाँच हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा या यदि उसे इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए पहले ही सिद्धीय ठहराए जा चुका हो और उसके परचात् उसे, उस अपराध के लिए पुनः दोषीसिद्ध किया जाता है तो वह दूसरी और प्रत्येक परचात्पूर्व अपराध के लिए ऐसे कारणों से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पाँच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(2) कोई व्यक्ति, जो सदीप अधिनियम के लिए धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, ऐसे अपराध के लिए ऐसे कारणों से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पाँच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

अभिप्रेतन के लिए पूर्व संकृति।

8. इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए कोई अभिप्रेतन, केन्द्रीय सरकार की या केन्द्रीय सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस विहित प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व संकृति के बिना, संस्थित नहीं किया जाएगा।

अनुसूचित।

9. इस अधिनियम की किसी बात से किसी व्यक्ति को, ऐसे किसी बंद या अन्य कारणादी से, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकती हो, सूट प्राप्त नहीं होगी।

अधिनियम का अन्वयेही प्रभाव होगा।

10. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंध, किसी अन्य अधिनियमिधि या ऐसी अधिनियमिधि के आचार पर प्रभाव रखने वाली शिक्तय में अंतर्भूत किसी अंतर्गत बात के होते हुए भी प्रचाली होंगे।

11. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 4 के अधीन संप्रतीक के प्रयोग को विनियमित करने वाले मामले और शर्तें;

(ख) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार की शासकीय मुद्रा में संप्रतीक के प्रयोग को विनियमित करने और उससे संबंधित निर्बंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करने के लिए नियम बनाना;

(ग) धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन लेखन सामग्री पर संप्रतीक का प्रयोग, संप्रतीक वाली शासकीय मुद्रा का डिजाइन और अन्य विषय;

(घ) धारा 8 के अधीन अभियोजन संस्थित करने के लिए पूर्व मंजूरी देने के लिए साधारण या विशेष आदेश द्वारा अधिकारी को प्राधिकृत करना; और

(ङ) कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना अपेक्षित हो या जिसे विहित किया जाए।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा, यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## अनुसूची

[धारा 2(ख) देखिए]

## भारत का राज्य संप्रतीक

वर्णन और डिजाइन

भारत का राज्य संप्रतीक अशोक के सारनाथ स्थित उस सिंह स्तंभ शीर्ष से अंगीकार किया गया है जो सारनाथ संग्रहालय में परिरक्षित है। सिंह स्तंभ शीर्ष पर चार सिंह वृत्ताकार शीर्ष फलक पर पीठ लगाए बैठे हैं। शीर्ष-फलक की मध्य पट्टी ऊर्ध्वांकित एक हाथी, एक दौड़ते हुए घोड़े, एक सांड और एक सिंह की मूर्तियों से अलंकृत है, जिन्हें मध्यवर्ती धर्मचक्र द्वारा पृथक् किया गया है। शीर्ष फलक घण्टे के आकार के कमल पर रखा हुआ है।


पार्श्व चित्र में शीर्ष फलक पर तीन सिंह बैठे दिखाई देते हैं, बीच में धर्मचक्र, उसके दाहिनी ओर एक बैल और बाईं ओर दौड़ता हुआ एक घोड़ा है और उनके एकदम दाहिनी ओर बाईं ओर धर्मचक्र को भारत के राज्य संप्रतीक के रूप में अंगीकृत किया गया है। घण्टे के आकार के कमल का लोप कर दिया गया है।

सिंह स्तंभ शीर्ष चित्र के पार्श्व चित्र के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा आदर्श वाक्य "सत्यमेव जयते"—सत्य की ही विजय होती है—भारत के राज्य संप्रतीक का भाग है।

भारत का राज्य संप्रतीक परिशिष्ट-1 या परिशिष्ट-2 में यथाउपवर्णित डिजाइन के अनुरूप होगा।



परिशिष्ट 1



सत्यमेव जयते

टिप्पण : यह डिजाइन सरलीकृत रूप में है और लघु आकार में जैसे लेखन सामग्री, मुद्रा और तप्या मुद्रण में पुनःप्रस्तुतीकरण के लिए है।

## परिशिष्ट 2



सत्यमेव जयते

टिप्पण : यह डिजाइन अधिक विस्तृत रूप में है और बड़े आकार में पुनःप्रस्तुतीकरण के लिए है।



No. 13/8/2007-Public  
Government of India / Bharat Sarkar  
Ministry of Home Affairs / Grih Mantralaya  
\*\*\*\*\*

1  
17

North Block, New Delhi.  
Dated the 15 November, 2007.

To

The Chief Secretaries / Administrators of  
all State Governments / UT Administrations.

19 NOV 2007

Subject:- Display of complete State Emblem of India with the motto  
"Satyameva Jayate" – Truth alone triumphs – written in  
Devanagari script below the profile of the Lion Capital.

Sir/Madam,

The State Emblem of India is the official seal of the Government of India. The State Emblem is an adaptation from the Sarnath Lion Capital of Asoka. The Emblem consists of the profile of the Lion Capital showing three Lions mounted on the abacus, with a Dharma Chakra in the centre, a bull on the right, a galloping horse on the left and outlines of Dharma Chakras on the extreme right and left with the motto "Satyameva Jayate" – written in Devanagari script below the profile of the Lion Capital. A copy of the design of the State Emblem of India is enclosed.

2. It has been brought to the notice of this Ministry that various Government agencies who are using the State Emblem of India on their stationery, publications, seals, vehicles, buildings etc., often omit the motto "Satyameva Jayate" and are only depicting the profile of the Lion Capital. It may be noted that the State Emblem of India is incomplete without the motto "Satyameva Jayate" inscribed (in Devanagari script) below the profile of the Lion Capital.

3. A copy each of the State Emblem of India (Prohibition of Improper Use) Act, 2005 and the State Emblem of India (Regulation of Use) Rules, 2007 is enclosed for information / guidance.

4. It is reiterated that the Government agencies who are authorised to use the State Emblem of India for various official purposes should depict the complete picture of the 'State Emblem' together with the motto "Satyameva Jayate" – in Devanagri script – incipited below the profile of the Lion Capital, as per the enclosed format. Suitable instructions in this regard may please be issued to all concerned agencies and it may be ensured that the motto 'Satyameva Jayate' is not omitted from the State Emblem.

Encls. : As above

Yours faithfully,



(S.K. Bhatnagar)

Deputy Secretary to the Govt. of India  
Tel.No.: 2309 2035

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 1

PART II—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 61] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 21, 2005 / अग्रहायण 30, 1927  
No. 61] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 21, 2005 / AGRAHAYANA 30, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**  
**(Legislative Department)**

*New Delhi, the 21st December, 2005/Agrahayana 30, 1927 (Saka)*

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 20th December, 2005 and is hereby published for general information:—

**THE STATE EMBLEM OF INDIA (PROHIBITION OF IMPROPER  
USE) ACT, 2005**

No. 50 OF 2005

[20th December, 2005.]

An Act to prohibit the improper use of State Emblem of India for professional and commercial purpose and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by Parliament in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the State Emblem of India (Prohibition of Improper Use) Act, 2005.

(2) It extends to the whole of India, and also applies to citizens of India outside India.

(3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "competent authority" means any authority competent under any law for the time being in force to register any company, firm, other body of persons or any trade mark or design or to grant a patent;

Short title,  
extent,  
application  
and  
commencement

Definitions.



(b) "emblem" means the State Emblem of India as described and specified in the Schedule to be used as an official seal of the Government.

Prohibition of improper use of emblem.

3. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no person shall use the emblem or any colourable imitation thereof in any manner which tends to create an impression that it relates to the Government or that it is an official document of the Central Government or, as the case may be, the State Government, without the previous permission of the Central Government or of such officer of that Government as may be authorised by it in this behalf.

*Explanation.*— For the purposes of this section, "person" includes a former functionary of the Central Government or the State Governments.

Prohibition of use of emblem for wrongful gain.

4. No person shall use the emblem for the purpose of any trade, business, calling or profession or in the title of any patent, or in any trade mark or design, except in such cases and under such conditions as may be prescribed.

Prohibition of registration of certain companies, etc.

5. (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no competent authority shall,—

(a) register a trade mark or design which bears the emblem, or

(b) grant a patent in respect of an invention which bears a title containing the emblem.

(2) If any question arises before a competent authority whether any emblem is an emblem specified in the Schedule or a colourable imitation thereof, the competent authority shall refer the question to the Central Government and the decision of the Central Government thereon shall be final.

General powers of Central Government to regulate use of emblem.

6. (1) The Central Government may make such provision by rules as appears to it to be necessary, to regulate the use of the emblem in official seal that is used in offices of the Central Government and the State Government and their organisations including diplomatic missions abroad, subject to such restrictions and conditions as may be prescribed.

(2) Subject to the provisions of this Act, the Central Government shall have powers—

(a) to notify the use of emblem on stationery, the method of printing or embossing it on demi-official stationery by the constitutional authorities, Ministers, Members of Parliament, Members of Legislative Assemblies, officers of the Central Government and the State Governments;

(b) to specify the design of the official seal consisting of the emblem;

(c) to restrict the display of emblem on vehicles of constitutional authorities, foreign dignitaries, Ministers of the Central Government and the State Governments;

(d) to provide for guidelines for display of emblem on public buildings in India, the diplomatic missions and on the buildings occupied by the India's consulates abroad;

(e) to specify conditions for the use of emblem for various other purposes including the use for educational purposes and the armed forces personnel;

(f) to do all such things (including the specification of design of the emblem and its use in the manner whatsoever) as the Central Government considers necessary or expedient for the exercise of the foregoing powers.

Penalty.

7. (1) Any person who contravenes the provisions of section 3 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both, or if having been previously convicted of an offence under this section, is again convicted of any such offence, he shall be punishable for the second and for every subsequent offence with imprisonment

for a term which shall not be less than six months, which may extend to two years and with fine which may extend to five thousand rupees.

(2) Any person who contravenes the provisions of section 4 for any wrongful gain shall be punishable for such offence with imprisonment for a term which shall not be less than six months, which may extend to two years and with fine which may extend to five thousand rupees.

8. No prosecution for any offence punishable under this Act shall be instituted, except with the previous sanction of the Central Government or of any officer authorised in this behalf by general or special order of the Central Government.

Previous  
sanction for  
prosecution.

9. Nothing in this Act shall exempt any person from any suit or other proceedings which might be brought against him under any other law for the time being in force.

Savings.

10. The provisions of this Act or any rule made thereunder shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other enactment or instrument having effect by virtue of such enactment.

Act to have  
overriding  
effect.

11. (1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

Power to  
make rules.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) cases and conditions regulating the use of emblem under section 4;

(b) making rules to regulate the use of the emblem in official seal of the Government and specifying restrictions and conditions relating thereto under sub-section (1) of section 6;

(c) the use of emblem on stationery, design of official seal consisting of emblem and other matters under sub-section (2) of section 6;

(d) authorising officer by general or special order for giving previous sanction for instituting prosecution under section 8; and

(e) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

(3) Every rule made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both houses agree in making any modification in the rule or both houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.



## THE SCHEDULE

[See section 2(b)]

## STATE EMBLEM OF INDIA

## DESCRIPTION AND DESIGN

The State Emblem of India is an adaptation from the Sarnath Lion Capital of Asoka which is preserved in the Sarnath Museum. The Lion Capital has four lions mounted back to back on a circular abacus. The frieze of the abacus is adorned with sculptures in high relief of an elephant, a galloping horse, a bull and a lion separated by intervening Dharma Chakras. The abacus rests on a bell-shaped lotus.

The profile of the Lion Capital showing three lions mounted on the abacus with a Dharma Chakra in the centre, a bull on the right and a galloping horse on the left, and outlines of Dharma Chakras on the extreme right and left has been adopted as the State Emblem of India. The bell-shaped lotus has been omitted.

The motto "Satyameva Jayate"—Truth alone triumphs—written in Devanagari script below the profile of the Lion Capital is part of the State Emblem of India.

The State Emblem of India shall conform to the designs as set out in Appendix I or Appendix II.